

(1) दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 218/12

न्यायालय:- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गौहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य)

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 218/12

संस्थापन दिनांक-24/7/12

अरविंद गुप्ता पुत्र श्री सुरेशचन्द्र गुप्ता,
आयु 37 साल निवासी डाक खाने के पास,
हाल एस.बी.आई. बैंक के पास मालनपुर
जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

-----पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

वि रु द्ध

- 1- प्रेमशंकर गुप्ता पुत्र बाबूलाल गुप्ता,
आयु 60 साल
- 2- बबलू आयु 32 साल
- 3- गुड्डू आयु 25 साल पुत्रगण प्रेमशंकर गुप्ता,
निवासीगण मकान नंबर-543/8 के. ब्लॉक,
किदवई नगर नौवास्ता कानपुर,

.....प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण/अनावेदक

न्यायालय-श्री केशव सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी गौहद
जिला-भिण्ड के न्यायालय के परिवाद क्रमांक- /12. अरविंद विरुद्ध
प्रेमशंकर में पारित आदेश दिनांक 21/6/12 से उत्पन्न दाण्डिक
पुनरीक्षण

-:- आ दे श -:-

(आज दिनांक 09, सितंबर 2014 को पारित किया गया)

1. श्री केशव सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड के न्यायालय के परिवाद प्रकरण क्रमांक- /12 अरविंद विरुद्ध प्रेमशंकर में पारित आदेश दिनांक 21/6/12 से व्यथित होकर याचिकाकर्ता/परिवादी ने यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता/परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवादपत्र धारा-406 भा.द.वि. के अंतर्गत अनावेदकगण के विरुद्ध संज्ञान लेने बाबत पेश किया था, जो धारा-203 द.प्र.सं. के तहत निरस्त किया गया ।
2. प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि परिवादी/याचिकाकर्ता के अनावेदक प्रेमशंकर ससुर एवं अनावेदकगण बबलू व गुड्डू साले हैं ।
3. पुनरीक्षणकर्ता/याचिकाकर्ता/निगरानीकर्ता के निगरानी के निम्नानुसार आधार बताये हैं कि प्रथम स्टेज पर प्रारंभिक साक्ष्य प्रथम दृष्टया मान्य की जाती है,

व गुणदोषों पर विचार नहीं किया जाता है, जिसके आधार पर प्रकरण में संज्ञान लिये जाने का आधार है, जो कि संज्ञान ना लिये जाने में अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर त्रुटि की है। परिवादी की पत्नी जब उसके पास नहीं रही तो उसने धारा-9 हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों की पुर्नस्थापना बाबत कार्यवाही की, और उसे बुलाने का पूरा प्रयत्न किया, किन्तु वह नहीं आयी। परिवादी/निगरानीकर्ता की पत्नी की मृत्यु कानपुर में उसके मायके में हो गया और उसके पिता व भाईयों ने उसका दाह संस्कार कर दिया, और उसकी मृत्यु की खबर भी उनसे छिपायी थी। परिवादी की पत्नी की मृत्यु उसके मायके अर्थात् अनावेदकगण के घर में हुई उसकी समस्त सामग्री उन्हीं के कब्जे में रही, अधीनस्थ न्यायालय ने स्वतंत्र साक्षियों के कथन का अवलोकन किए बिना ही आदेश दिनांक-21/6/12 को परिवादपत्र गलत रूप से पारित कर परिवाद निरस्त किया है, जो कि आदेश निरस्ती योग्य है। पुनरीक्षणयाचिका स्वीकार कर अनावेदकगण के विरुद्ध धारा-406 भादवि. के अंतर्गत संज्ञान लिये जाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित करने एवं आलोच्य आदेश निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

4. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पुनरीक्षण याचिका में उठाये बिन्दुओं और लिये गये आधारों के अनुरूप तर्क किए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो परिवादी की साक्ष्य आयी है, उसे अनदेखा किया है, जबकि स्पष्ट रूप से यह साक्ष्य दी गयी थी कि आवेदक की पत्नी को जब उसके घर से अनावेदक उसके पिता और भाई जबरदस्ती ले गये थे, तब 06 तोला सोने के जेवर, जिसमें चार तोला सोने की चार चूड़ी, एक तोला सोने की जंजीर, 12 आना भर होने की झुमकी, चाराना भर सोने की अंगूठी और 250 ग्राम वजन की चांदी की पायलें और 600 रुपये ले गयी थी। मायके में रहने के दौरान उसकी पत्नी की मृत्यु हो गयी। जिसकी अनावेदकगण ने उसे कोई सूचना नहीं दी और उसका अंतिम संस्कार कर दिया और जब जानकारी मिली तब अपने जेवरात की मांग करने पर देने से इंकार करने पर परिवाद पेश किया है और ऐसी ही साक्ष्य दी। जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने बिल्कुल अनदेखा कर दिया है, जबकि किसी अपराध पर संज्ञान लेते समय गुणदोष नहीं देखे जाते हैं। केवल प्रारंभिक रूप से ही यह देखना होता है कि आरोप लगाये जाने के पर्याप्त आधार बनते हैं या नहीं। पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाकर अपराध का पंजीयन किए जाने और अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे।

5. विचारणीय यह है कि—“क्या, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 21/6/2012 अवैध, अनुचित या औचित्यहीन होकर अपास्त किए जाने योग्य है ?”

—::— निष्कर्ष के आधार —::—

6. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गये परिवादपत्र, कथन एवं उसके साथ संलग्न किए गये दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।
7. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के परिशीलन करने पर यह विदित है कि पुनरीक्षणकर्ता/परिवादी द्वारा ससुर प्रेमशंकर और साले बबलू और गुडडू के विरुद्ध धारा-406 भा0दं0वि0 के तहत अपराध न्यास भंग का अपराध बताते हुए उसके अपराध का संज्ञान लिये जाने हेतु परिवाद दिनांक-5/9/2011 को जे.एम.एफ.सी. गोहद के न्यायालय में पेश किया गया था। जिसपर अधीनस्थ न्यायालय ने धारा-200 और 202 द.प्र.सं. के तहत जांच उपरांत परिवादी की सुनवाई कर आलोच्य आदेश मुताबिक परिवाद को संज्ञान योग्य ना पाते हुए धारा-203 द.प्र. सं. के तहत निरस्त किया।
8. अभिलेख पर जो सामग्री उपलब्ध है उससे यह भी प्रकट होता है कि परिवादी/पुनरीक्षणकर्ता की पत्नी सीमा का देहान्त हो चुका है जिसके विरुद्ध दाम्पत्य अधिकारों की पुर्नस्थापना के लिए भी परिवादी द्वारा अपर जिला न्यायालय गोहद के न्यायालय में धारा-9 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के तहत याचिका पेश की गयी थी, जिसमें भेजे गये नोटिस की तामील पर उसकी मृत्यु की जानकारी प्राप्त हुई। परिवादी मुताबिक उसके घर से उसकी पत्नी को अनावेदकगण दिनांक-23/6/95 को अपने साथ कानपुर ले गये थे, तब उसकी पत्नी 06 तोला सोने के ऊपर वर्णित जेवरात और 600/-रुपये ले गयी थी, जो अनावेदकगण ने वापिस नहीं किए हैं।
9. सर्वप्रथम तो जो जेवरात बताये गये हैं, वे यदि प्राथमिक रूप से परिवादी/पुनरीक्षणकर्ता के माने भी जाये तो उसकी पत्नी के स्त्री धन की श्रेणी में आयेंगे। ऐसे में पत्नी द्वारा मायके जाते समय ले जाना विधि विरुद्ध नहीं कहा जा सकता है तथा ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है, जिससे यह माना जाये कि मृत्यु पूर्व मृतिका सीमा ने उक्त जेवरात अपने पिता, भाई अर्थात् अनावेदकगण को सौंपे हो। ऐसे में केवल कयास के आधार पर अपराध का संज्ञान नहीं लिया जा

सकता है । परिवादी/याचिकाकर्ता ने जो जेवरात बताये हैं उनमें मंगलसूत्र शामिल नहीं है, जबकि हिन्दू समाज में मंगलसूत्र धार्मिक प्रकृति का जेवर होता है, जिन्हें सुहागिन महिलाएं पहनती हैं और उसके संबंध में परिवादी मौन है, जबकि परिवादी ने परिवादपत्र के साथ जो दस्तावेज पेश किए हैं, उसमें सिंघई ज्वैलर्स की जो दिनांक-3/12/1993 का एस्टीमेट पेश किया, उसमें मंगलसूत्र भी शामिल था । ऐसे में यह नहीं माना जा सकता है कि मृतिका सीमा के स्त्री धन के जेवरात अनावेदकगण ने प्राप्त किए और उनका आपराधिक दुर्विनियोग या अपराधिक न्यास भंग किया है ।

10. ऐसे में विद्वान जे.एम.एफ.सी. न्यायालय द्वारा प्रस्तुत परिवादपत्र के संबंध में पेश की गयी साक्ष्य के आधार पर जांच उपरांत संज्ञान योग्य मामला ना पाये जाने में कोई विधि या तथ्य संबंधी त्रुटि या भूल नहीं की है तथा आलोच्य आदेश अवैधानिक, अनुचित या औचित्यहीन ऐसी स्थिति में नहीं पाया जाता है ।
11. फलतः अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश स्थिर रखा जाकर प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका सारहीन होने से निरस्त की जाती है ।

दिनांक 09/09/2014

आदेश मेरे बोलने पर टंकित किया

आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में पारित किया गया ।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गौहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गौहद जिला भिण्ड (म0प्र0)